न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–43/16

1. श्रवण कुमार पुत्र गुरूदयाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी लक्सीवास, तहसील बहरोड, जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 30.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के आदेश दिनांक 18.01.16 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पटवारी अनन्तपुरा व गिरदावर हल्का ने दिनांक 23.12.15 को तहसीलदार को ग्राम निभोर की आराजी खसरा नम्बर 21 व 22 की पैमाईश व खसरा नम्बर 21 के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 21 रकबा 6.67 के विवाद की वास्तविक रिपोर्ट पेश की, उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि खसरा नम्बर 21 व 22 किता 2 रकबा 0.67 हैक्टयर जो साबिक नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बने है जिसका रकबा 0.63 हैक्टयर होना चाहिये जो सैटलमेन्ट ने 0.67 बना दिया उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी माना कि ग्राम निभोर जमाबन्दी सम्वत् 2042 का भली भांति अवलोकन एवं जांच करने पर पाया कि सम्वत् 2020 के नक्शे की जांच की गई जिससे रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 के मुताबिक नक्शा पूरा है किन्तु सम्वत् 2045 का नक्शा बनाते समय भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 21, 22 की पश्चिमी तथा पूर्वी डोल का बढ़ा दिया जिससे नक्शे के अनुसार रकबा बढ गया है व दक्षिणी ओर नक्शा हिल गया है जो खसरा नम्बर 21 व 22 की पैमाईश और खसरा नम्बर 21/647 की पैमाईश किया जाना संभव नही हो रहा है तथा सम्वत् 1278 के नक्शें में रास्ते की चौडाई 2 गढढा यानि 16 फुट 6 इंच है सम्वत 2020 के नक्शे में रास्ते की चौडाई 12 मीटर व सम्वत् 2038 में भी चौडाई 12 मीटर है, निष्कर्ष में वर्तमान नक्शानुसार मौके पर रास्ता नही निकल सकता व सम्वत् 1978 में नक्शे में रास्ते की चौडाई 16 फुट 6 ईच है जो वर्तमान में बना हुआ है, खसरा नम्बर 21, 22 किता 2 रकबा .067 है जो साबिक नम्बर 9 से बना है का मौके पर रकबा 62.50 हैक्टयर मौके पर रास्ते को छोड़कर मौजूद है, तीनों नक्शा में भिन्नता है। अतः निभोर के साबिक खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बने नये नम्बर 21, 22 किता 2 रकबा 0.67 में से खसरा नम्बर 21 रकबा 0.52 का रकबा 0.04 हैक्टयर कम किया जाना उचित होगा व मौके पर बने रास्ते को भी खुलाया जाना उचित होगा।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदर के समक्ष दिनांक 23.12.15 को पेश हुई तथा दिनांक 23.12.15 को ही तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी बहरोड को धारा 136 मे शुद्धी हेतु प्रेषित करने की आज्ञा दी एवं दिनांक 28.12.15 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कोई अप्रार्थी नही है व दर्ज कर वास्ते गौर करने हेतु दिनांक 05.01.16 को रखी गई, दिनांक 05.01.16 को वास्ते गौर दिनांक 18.01.16 की पेशी दे दी गई एवं दिनांक 18.01.16 को उपखण्ड अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.16 पारित किया है, जो विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली जो दर्ज की उसका नम्बर 45/15 तहसीलदार बनाम श्रवण कुमार रखा व श्रवण कुमार को पक्षकार बनाकर उसकी भूमि कम करने की आज्ञा दी है लेकिन उसे कोई नोटिस न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देने में सरासर गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत कोई भी आदेश देने के पूर्व नोटिस व सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है जो धारा 136 में अंकित है, के बावजूद अपीलान्ट को कोई नोटिस की आज्ञा न देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उन्होन आगे कथन किया स्वयं पटवारी, गिरदावर हल्का दिनांक 23.12.15 की रिपोर्ट में यह स्वीकार करते है कि पूर्वी व पश्चिमी डोल को भू प्रबन्ध विभाग के नक्शें में बढा दिया है जिसके अनुसार रकबा बढ गया है इसका स्पष्ट अर्थ है कि दक्षिणी और कोई परिवर्तन नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर विचार न कर निर्णय देने में भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह निर्विवाद है कि जब रिपोर्ट में खसरा नम्बर 21 के पूर्वी व पश्चिमी डोल को बढाया है तो नक्शे के अनुसार पश्चिमी और खसरा नम्बर 19 व 20 व पूर्वी ओर खसरा नम्बर 24 की भूमि होगी, न कि खसरा नम्बर 21/647 की जबकि स्वयं तहसीलदार 21/647 की भूमि पर कोई अतिक्रमण न होना मानकर धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप कर चुके है एवं यदि नक्शे में पूर्वी पश्चिम ओर रकबा बढा है तो उसमें खसरा नम्बर 19, 20, व 24 के खातेदार प्रभावित होगे व उन्हे ही धारा 136 में कार्यवाही के अधिकार है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर विचार न कर निर्णय देने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से आराजी खसरा नम्बर 21 व 22 प्रभावित

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हुए है तथा उक्त खसरा नम्बरान के खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारित पत्रावली में शीर्षक राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बहरोड बनाम श्रवण कुमार अंकित कर रखा है लेकिन अपीलान्ट व अन्य काश्तकारान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का बिना अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.16 पारित किया गया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।